70

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वंन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड़, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001
दूरभाष / फैक्स नं0 01662-259489 email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक स्थापना / 650 दिनांक 02/07/2024

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी ।

विषय :- आरोप पत्र विरूद्ध - श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ।
सन्दर्भः- आपका पत्र क्रमांक 649 दिनांक 14.06.2024 ।

0--0--0

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भाकित पत्र द्वारा खानक में माईनिंग एजैन्सी द्वारा अवैध रूप रास्ते हेतु वन भूमि का प्रयोग करने पर माईनिंग एजैन्सी के विरूद्ध कोई कार्यवाही ना करने के लिये श्री अनिल कुमार, वन दरोगा के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा(दण्ड एंव अपील) नियम, 2016 के नियम-7(4बी) के तहत आरोप पत्र जारी करके आपको वितरण हेतु भेजा जाता है।

संलग्न / उपरोक्त

FCA
ह० .../7/24

वन संरक्षक
पश्चिमी परिमण्डल,हरियाणा,
हिसार ।

पृ० क्रमांक: 880 दिनांक: 03/07/2024

इसकी एक प्रति कर्मचारी की प्रति सहित वन राजिक अधिकारी, भिवानी को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि आरोप पत्र कर्मचारी (श्री अनिल कुमार, व०द०) को सौंपकर पावती तथा उत्तर शीघ्र इस कार्यालय में भेजें।

निशाना, Dy. Subdt
उप वन संरक्षक, उ/न
भिवानी।

MEMORANDUM

No.______________ Dated______________

1. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby informed that it is proposed to take action against him under rule- 7 (4B) of Punishment & Appeal rule H.C.S. 2016 on the grounds set out in enclosed statement of Charges. The charges are based on the statement of allegations appointed the rate.
2. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby required to state in writing within a period of 15 days from the receipt of this memorandum by him whether he admire the truths of all or any. On the charges, what explanation or desires to be heard in person.
3. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby further informed that if for the purpose of preparing his written statement he wishes to have access to the relevant official's records he would inspect to same in the office of the DFO Bhiwani on any working day after making prior appointment with him. It is, however, pointed out that only such documents will be shown to him as are in the possession of the DFO Bhiwani and as are strict relevant to the case. If in the opinion of the competent authority it is not desirable in the public interest to allow him access to said documents, such access shall be refused. If **Shri Anil Kumar** Forester wishes to consult any other relevant record, which is not in the custody of the DFO Bhiwani It is for him to undertake its inspection. It is, however, made clear to **Shri Anil Kumar** Forester that his failure to inspect the documents shall not constitute a valid ground for delay in the submission of his written statement and if the written statement is not received by the undersigned within the specified period, it shall be presumed that he has none to submit.
4. The written statement should be submitted direct to the undersigned.
5. The receipt of this memorandum with enclosures may be acknowledged.

To,

Shri Anil Kumar Forester
Through:- DFO, Bhiwani

Punishing Authority
Conservator of Forests
West Circle, Haryana
HISAR

कर्मचारी का विवरण

नाम–		श्री अनिल कुमार
पद	–	वन दरोगा
वेतनमान	–	FUN-L 6
स्थाई / अस्थाई –		अस्थाई

Conservator of Forests
West Circle, Haryana,
HISAR
वन संरक्षक

अभिलेखों की सूचि

1. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.01.2023
2. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 26.07.2023
3. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 840 दिनांक 18.09.2023
4. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023
5. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana,
HISAR

आरोपों का सूची

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे।
2. कर्तव्यों में कोताही।

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana,
HISAR

आरोपों का विवरण

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारेः–

वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री अनिल कुमार, वन दरोगा को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्यवाही ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी द्वारा कोई जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023, द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए। श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र कमांक 566 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अपना जवाब मण्डल कार्यालय, भिवानी में प्रस्तुत किया तथा वन संरक्षक, हिसार के कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब कर्मचारी द्वारा वन राजिक अधिकारी, भिवानी के पत्र कमांक 181 दिनांक 27.05.2024 द्वारा भिवानी मण्डल में प्रस्तुत किया गया जिसमें लिखा कि कर्मचारी द्वारा सरल ब्लॉक का चार्ज दिसम्बर 2021 में लिया गया था उस समय यह रास्ता चालु था। इस भूमि का वास्तविक पता दिनांक 22 व 23 सितम्बर 2021 को राजस्व विभाग से पैमाईश करवाने के बाद ही पता चला कि यहां पर 38 कनाल 5 मरला वन भूमि के अन्दर से 1959 वर्ग मी0 में यह रास्ता बनाया हुआ है। उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही क्षति रिपोर्ट संख्या 069 / 0702 दिनांक 24.02.2024 सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्व चाक की गई। श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने लिखा है कि इसके पश्चात माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र में अभियोजन केस दायर करने हेतू सहायक जिला न्यायालय से सम्पर्क किया गया तो उन्होनें यह आपत्ति लगाई कि क्षति रिपोर्ट एक सरकारी अधिकारी के विरूद्व जारी की गई है, जिसके लिए सरकार से पूर्वानूमति ली जाए, परन्तु मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने कोई सूचना मण्डल कार्यालय में नहीं दी कि केस दायर करने में कोई आपत्ति लगाई गई है। कर्मचारी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से भिन्न पाया गया क्योंकि मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार भारत सरकार ने उनके पत्र कमांक दिनांक 25.01.2023 पत्र कमांक *दिनांक 26.07.2023 द्वारा मामले में कार्यवाही ना करने बारे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्व*

कार्यवाही करने बारे लिखा गया है ना कि मामले में पी0सी0 केस दायर करने बारे। यदि भारत सरकार द्वारा पी0सी0 केस दायर करने बारे निर्देश भी दिए गए थे तो उसके पश्चात भी वन दरोगा श्री अनिल द्वारा लगभग 1 साल बाद पी0सी0 केस दायर किया गया। जबकि श्री अनिल कुमार, वन दरोगा का कर्तव्य बनता था कि क्षति रिपोर्ट चाक करने के पश्चात सम्बन्धित माईनिंग ऐजेंसी के विरूद्व अतिक्रमण किए जाने के कारण पी0सी0 केस दायर किया जाए, परन्तु श्री अनिल कुमार, वन दरोगा द्वारा ऐसा नही किया गया।

इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन रक्षक द्वारा वन अपराध रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 को तो चाक कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में अभियोजन केस वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 13.09.2023 को लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद स्वीकृति हेतू मण्डल कार्यालय, भिवानी में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त ही केस माननीय पर्यावरण न्यायालय में दायर किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाना तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे आरोप नं0 1 श्री अनिल कुमार, वन दरोगा पर प्रथम दृष्टि से लागु होता है।

2. <u>कर्तव्य में कोताही:–</u>

श्री अनिल कुमार, वन दरोगा तत्कालीन ईन्चार्ज सरल ब्लॉक द्वारा माईनिंग कम्पनी से मिलीभगत करके वन भूमि के रास्ते का अवैध प्रयोग करवाया गया है तथा समय पर पी0सी0 केस भी दायर नहीं किया गया। अतः उपरोक्त पूर्ण वर्णित स्थिति अनुसार कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाहन नहीं किया। आरोप नं0 2 श्री अनिल कुमार, वन दरोगा पर प्रथम दृष्टि से लागू होता है।

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana
HISAR